**श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 10.06.2016 को मगध प्रमण्डल के सभी नगर निकायों के मुख्य पार्षद/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी तथा बिहार राज्य जल पर्षद के क्षेत्रीय अभियंता के साथ "गया" में आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–**

दिनांक 10.06.2016 को मगध प्रमंडल के सभी नगर निकायों के साथ गया में समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें मगध प्रमण्डल के सभी नगर निकायों के मुख्य पार्षद/नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी/नगर प्रबंधक, बिहार राज्य जल पर्षद के क्षेत्रीय अभियंता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

2. बैठक में माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चयों में से नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित 3 निश्चयों यथा हर घर शौचालय, हर घर नाली–गली एवं हर घर नल–जल की निकायवार समीक्षा की गयी। माननीय मुख्यमंत्री के निश्चय की प्राप्ति के लिए नगर निकायों में आधारभूत संरचना एवं हाउस होल्ड सर्वे कार्य कराया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि सर्वे कार्य हेतु विभाग के स्तर से निर्गत मार्गनिर्देश के अनुसार ससमय कार्य पूर्ण कराया जाय। सर्वे के उपरान्त यह स्पष्ट हो सकेगा कि एक वार्ड के अन्तर्गत कितने घरों में शौचालय, नल जल एवं पक्की नाली–गली हैं। तदोपरान्त वैसे लाभुकों की सूची बनाकर, उन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया।

3. **<u>हर घर शौचालय</u>** :–

(क) बैठक में उपस्थित सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु नगर निकायों के लिए पिछले वर्ष के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति माह जून, 2016 तक शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय। चूँकि यह माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय में शामिल है, अतः प्राथमिकता के आधार पर इसका कार्यान्वयन कराया जाय एवं ऑनलाईन प्रविष्टि सुनिश्चित की जाय।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत Community toilet एवं Public toilet की निकायवार समीक्षा की गयी। निर्देश दिया गया कि इसके निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की जाय। भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में बहुमंजिले Community toilet का निर्माण विधिवत तरीके से कराया जाय।

4. **<u>हर घर नाली–गली योजना</u>** :–

पूर्व में विभागीय निर्देश निर्गत है कि प्रत्येक नगर निकाय को वार्डवार सभा करके, नाली–गली की योजना तय कर, प्राथमिकता सूची बना ली जाय। इस संबंध में निकायवार जानकारी प्राप्त की गयी। किसी भी नगर निकाय द्वारा अब तक अंतिम रूप से प्राथमिकता तय कर एवं बोर्ड से पारित कराकर, सूची विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। कुछ निकाय द्वारा योजनाओं का चयन किया गया है, परन्तु प्राथमिकता सूची नहीं बनायी गयी है।

कुछ निकाय द्वारा प्राथमिकता सूची तैयार कर ली गयी है परन्तु बोर्ड से पारित नहीं कराया गया है।

निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी नगर निकाय, वार्डवार योजनाओं की प्राथमिकता सूची तैयार करके एवं बोर्ड से पारित कराकर, योजनाओं की सूची नगर विकास एवं आवास विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें ताकि प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक वार्ड में योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

5. <u>हर घर नल–जल</u> :–

(क) हर घर नल–जल योजना माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चयों में शामिल है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के सभी घरों को पेयजल हेतु पाईप लाईन से जोड़ा जाना है। जिस रोड/गली में पूर्व से Existing pipe line हैं एवं उसके बाद के कई घर छूटे हुये है तो उन्हें भी पाईपलाईन से जोड़ा जाना है। ऐसे शहरी क्षेत्र, जहाँ वर्तमान में पाईप लाईन नहीं हैं, उसे प्राथमिकता के तौर पर जलापूर्ति पाईप लाईन से जोड़ा जाना है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इसपर प्राथमिकता तय की गयी है।

(ख) निर्देश दिया गया कि गया नगर निगम क्षेत्र में पी0एच0ई0डी0 के द्वारा यदि जलापूर्ति पाईप लाईन बिछायी गयी है तो उक्त पाईप लाईन में गया नगर निगम नागरिकों को कनेक्शन दे सकती है। ~~कनेक्शन करने के क्रम में होने वाले व्यय के रूप 1700/– रूपये (पी0एच0ई0डी0 द्वारा निर्धारित दर) नगर निकायों के द्वारा वहन किया जायेगा।~~

(ग) नगर आयुक्त, गया नगर निगम द्वारा बताया गया कि कार्यकारी एजेंसी पी0एच0ई0डी0 के द्वारा नियुक्त संवेदक "किर्लोस्कर कम्पनी" द्वारा गया शहरी जलापूर्ति योजना का कार्य कराया गया है। उक्त योजना का लगभ 80 प्रतिशत कार्य करा दिया गया है, परन्तु कुछ कार्य अभी शेष बचे हैं। निर्देश दिया गया कि इस संबंध में एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जाय।

(घ) यह बताया गया कि गया नगर निगम द्वारा जलापूर्ति पाईप लाईन की जो योजानाएँ चयनित की गयी हैं, उस सबंध में विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायतों की जाँच हेतु नगर विभाग एवं आवास विभाग द्वारा एक जाँच कमिटी गठित की गयी। जाँच कमिटी द्वारा स्थल जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है तथा निम्नवत् मंतव्य दिया गया :–

(i) ए0डी0बी0 सम्पोषित बुडकों की प्रस्तावित जलापूर्ति योजना से वर्ष 2020 तक जलापूर्ति की संभावना है। वर्तमान में वस्तुस्थिति यह है कि ~~वर्तमान~~ में कतिपय वार्डों में पाईप लाईन से जलापूर्ति नहीं हो रहा है। फलस्वरूप बोर्ड द्वारा पारित जलापूर्ति योजनाओं को अल्पकालीन योजनाओं के रूप में कार्यन्वित कराया जा सकता है।

(ii) विदित हो कि समान्यतया टयूबवेल का डिजाईन लाईफ 15 वर्ष एवं पाईप लाईन का डिजाईन लाईफ 30 वर्ष होता है तदनुसार बोर्ड द्वारा पारित योजनाओं को यदि कार्यान्वित कराया जाता है तो उक्त सिस्टम को बुडको के प्रस्तावित योजना में शामिल

करने का निदेश दिया जा सकता है। तदनुसार वर्तमान में उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन से राजस्व की हानि नहीं होगी।

(iii) बोर्ड द्वारा पारित जलापूर्ति संबंधित योजनाएँ Existing System का तत्कालिक व्यवस्था के तहत विस्तारीकरण मात्र है एवं संकटग्रस्त क्षेत्रों में पाईप से जल उपलब्ध कराने हेतु किया जा रहा है।

(iv) पी0एच0ई0डी0 के Existing System से हाउस होल्ड कनेक्शन नियमानुसार दिया जा रहा है।

(v) बुडको के प्रस्तावित योजना में, चूंकि सभी 53 वार्डों एवं वर्ष 2048 तक के संभावित जनसंख्या को ध्यान में रखकर योजना क्रियान्वित की जानी है, फलस्वरूप उक्त योजना के पूर्ण हो जाने पर अन्य जलापूर्ति योजना लेने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। इस क्रम में निर्देश दिया गया कि योजना प्रारम्भ कराने के पूर्व निम्नांकित बातों पर ध्यान दिया जाय –

a) किसी भी परिस्थिति में पाइप लाईन विस्तार के क्रम में दोहरीकरण नहीं होना चाहिए।

b) पाइप लाईन विस्तार करने के पूर्व, जलापूर्ति की क्षमता का आँकलन कर लिया जाय ताकि जिनके लिए जलापूर्ति पाइप लाईन बिछाया जा रहा है, वहाँ पानी आवश्यक रूप से मिले।

c) पाइप लाईन का विस्तार करने/नई योजना की सूची ए0डी0बी0 (बुडको) को अवश्य भेजा जाय ताकि दोहरीकरण न हो।

**6. <u>पेयजलापूर्ति से संबंधित निकायवार जानकारी प्राप्त की गयी एवं निम्नवत निर्देश दिये गये</u> :–**

**<u>अरवल, नगर परिषद</u> :–**

(i) कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अरवल, नगर परिषद के अंतर्गत कुल 25 वार्ड है जिसमें High Yield Tube well हैं, परन्तु शहर के 06 वार्ड उससे आच्छादित नहीं हैं। शहर में 256 चापाकल एवं 03 टैंकर कार्यरत है। अरवल नगर परिषद में बिहार राज्य जल पर्षद से जलापूर्ति योजना स्वीकृत है, जिसमें से 01 वार्ड में भूमि का NOC नहीं मिल पा रहा है। NOC के लिये कार्रवाई की जा रही है।

(ii) यह बताया गया कि शहरी निकायों के योजनाओं के कार्यन्वयन में भूमि संबंधित विवाद के निपटारे के लिये विभाग स्तर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ समन्वय कर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें संबंधित जिला पदाधिकारी को ऐसे भूमि का NOC देने के लिये अधिकृत किया जायेगा।

(iii) बैठक में उपस्थित बिहार राज्य जल पर्षद के अभियंता को निर्देश दिया गया कि अरवल नगर परिषद के लिये जो योजना स्वीकृत हैं एवं उक्त योजना में कोई क्षेत्र छूट रहा है तो उसका एक अलग जोन बनाकर, Comprehensive D.P.R बनाकर अधोहस्ताक्षरी के

साथ विमर्श करें। यह भी निर्देश दिया गया कि योजना में Full Zone Cover हो, यह सुनिश्चित किया जाय।

**जहानाबाद नगर परिषद** :–

(i) नगर परिषद जहानाबाद से पेयजलापूर्ति संबंधी रिर्पोट विभाग को नहीं भेजा जा रहा है। निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन रिपोर्ट विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(ii) बिहार राज्य जल पर्षद के अभियंता द्वारा बताया गया कि जहानाबाद नगर परिषद में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा जलापूर्ति की योजनाएँ कार्यान्वित करायी जा रही है। राज्य योजना मद से 08 जोन हैं एवं AMRUT योजना से 03 जोन क्रमशः 29–29 करोड़ की योजनाएँ है। 01 जोन की योजना में जमीन का विवाद है। इस योजना के पाईप लाईन कार्य में किसी का रैयती जमीन आ रहा है, जिसके कारण योजना लम्बित है। निर्देश दिया गया कि जिला पदाधिकारी से मिलकर उक्त भूमि का NOC प्राप्त करें।

बिहार राज्य जल पर्षद के अभियंता द्वारा बताया गया कि एक जोन की योजना दिसम्बर 2016 में चालू हो जायेगी एवं शेष जोन की योजनाएँ 31 जुलाई तक चालू कर लिया जायेगा।

**मखदुमपुर नगर पंचायत** :–

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पी0एच0ई0डी0 का एक टयूबवेल कार्यरत है, जिससे शहर का 6–7 वार्ड आच्छादित हो रहा है। बिहार राज्य जल पर्षद के अभियंता द्वारा बताया गया कि मखदुमपुर नगर पंचायत में 02 जोन हैं। नगर पंचायत में कुल 19 वार्ड है, परन्तु इस जोन में 05 वार्ड कभर नहीं हो पा रहा है। निर्देश दिया गया कि पंचम राज्य वित्त आयोग, निश्चय योजना अथवा जलापूर्ति के लिये उपलब्ध राशि के अंतर्गत Additional डी0पी0आर0 बनाये एवं शेष वार्डों को आच्छादित करने के लिए अलग जोन बना लें।

**औरंगाबाद नगर परिषद** :–

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद नगर परिषद में पी0एच0ई0डी0 के 06 टयूबवेल हैं, जिसमें 04 कार्यरत एवं 02 अकार्यरत हैं। बिहार राज्य जल पर्षद के अभियंता द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद नगर परिषद क्षेत्र में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा 29 करोड़ रूपये की राशि से 10 जोन में जलापूर्ति योजनाएँ कार्यान्वित करायी जा रही है, जिससे शहर के 13 वार्ड कभर हो रहे हैं, परन्तु इस योजना में पम्प हाउस शहर के बाहर है, जिसे शहर के अंदर करने की आवश्यकता है। यह बताया गया कि योजना में परिवर्तन करने के लिये High Level Committee में उपस्थापित करना होगा। यह भी निर्देश दिया गया कि Remaining Area के लिये अलग से डी0पी0आर0 बनायें। वाटर टावर से वाटर सप्लाई के लिये प्रोजेक्ट Modular बनायें। पंचम वित्त आयोग, AMRUT अथवा वाटर सप्लाई के लिये जो राशि है, उससे इन योजनाओं को कार्यान्वित करा सकते है।

**रफीगंज नगर पंचायत :–**

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि रफीगंज नगर पंचायत क्षेत्र में पाईप से वाटर सप्लाई नहीं है। बी0आर0जी0पी0 की योजना रफीगंज में कार्यान्वित नहीं है। रफीगंज नगर पंचायत में कुल 16 वार्ड है, यहां चापाकल हैं। पानी की कोई समस्या नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी यह भी बताया गया कि पी0एच0ई0डी0 का 04 टयूबवेल है, जो कारगर नहीं है।

निर्देश दिया गया कि पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में पाईप जलापूर्ति के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना बनायी जाय, क्योंकि यह माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय में शामिल है।

**नवीनगर नगर पंचायत** :–

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नवीनगर नगर पंचायत में पाईप जलापूर्ति की कोई योजना नहीं है। बी0आर0जी0पी0 का भी कोई योजना कार्यान्वित नहीं है। शहरी में पानी की कोई समस्या नहीं है।

निर्देश दिया गया कि पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में पाईप जलापूर्ति के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना बनायी जाय। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाय, क्योंकि यह माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय में शामिल है।

**दाउदनगर नगर पंचायत** :–

(i) कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत क्षेत्र में बी0आर0जी0पी0 की योजना चल रही है, अभी काम शुरू हुआ है। इस योजना से 50 से 60 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित होंगे। इसमें 02 जोन है। दोनों जोन में कार्य चल रहा है। 01 जोन और बनाये जाने की आवश्यकता है। निर्देश दिया गया कि पंचम वित्त आयोग या निश्चय योजना से Additional डी0पी0आर0 बना लें।

(ii) नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा वार्ड संख्या 23, जो नहर के दूसरे तरफ है, में अलग से जलापूर्ति योजना दिये जाने की आवश्यकता बतायी गयी। निर्देश दिया गया कि इसके लिये अलग से योजना का कार्यान्वयन नगर पंचायत कर सकता है। इस हेतु बी0आर0जी0पी0 के अभियंता Technical Support देंगे।

**गया नगर निगम** :–

(i) नगर आयुक्त, गया नगर निगम द्वारा बताया गया कि गया नगर निगम में कुल 53 वार्ड है। गया नगर निगम क्षेत्र में बी0आर0जी0पी0 की योजना नहीं है। ए0डी0बी0 सम्पोषित बुडको की जलापूर्ति परियोजना है।

(ii) बैठक में उपस्थित ए0डी0बी0 सम्पोषित जलापूर्ति परियोजना के लिये बुडको के कार्यपालक अभियंता श्री विजय कुमार शर्मा से जलापूर्ति परियोजना एवं सिवरेज परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

नगर आयुक्त, गया को निर्देश दिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या को देखते हुये, नगर निगम छोटी परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर सकती है, किन्तु साथ ही ए0डी0बी0 परियोजना के परामर्शी से परामर्श लेते हुये कार्यान्यवन करायी जाय, जिससे कि उक्त योजना को ए0डी0बी0 परियोजना में सम्मिलित किया जा सके। इस संदर्भ में ए0डी0बी0 परियोजना के परामर्शी को दिनांक 14.06.2016 को गया में नगर निगम एवं बुडको के पदाधिकारी के साथ बैठक कर इसका निदान कराने का निर्देश दिया गया। इस हेतु श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यपालक अभियंता, बुडको बैठक हेतु समन्वय स्थापित करेंगे।

यह भी निर्देश दिया गया कि बुडको के स्कीम में किर्लोस्कर कंपनी द्वारा कराये गये योजना को Consider कर लिया जाय।

(iii) प्रधान सचिव द्वारा गया नगर निगम के वार्ड संख्या 45 में जल समस्या के बारे में पूछा गया। नगर आयुक्त गया नगर निगम द्वारा बताया गया कि वार्ड संख्या 45 के क्षेत्र में किर्लोस्कर के द्वारा बोरिंग एवं पाईप लाईन का कार्य कराया गया है, परन्तु अभी तक उसे चालू नहीं कराया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता से समन्वय करके चालू कराना सुनिश्चित करें।

(iv) गया शहरी क्षेत्र में पानी की गुणवता के संबंध में नगर आयुक्त, गया नगर निगम द्वारा बताया गया कि गया नगर निगम क्षेत्र में जो पाईप लाईन है, वह लगभग 100 वर्ष पुरानी है जिसमें कहीं–कहीं पर लिकेज हो जाने से गंदे पानी की शिकायत होती है। निर्देश दिया गया कि पाईप के दोनों तरफ End पर पानी की Testing करा लिया जाय एवं अभियान चलाकर लिकेज की मरम्मति कराना सुनिश्चित की जाय।

(v) नगर आयुक्त, गया द्वारा यह भी बताया गया कि फल्गु नदी में नाले के पानी जाने के कारण गंदे पानी की शिकायत प्राप्त होती है। इस शिकायत को दूर करने के लिये नगर निगम द्वारा वर्तमान में अलग से 08 नया बोरिंग कराकर जलापूर्ति करायी जा रही है। गया नगर निगम क्षेत्र में 45 टयूबवेल, 44 टैंकर हैं एवं 152 प्याउ में से 140 प्याउ कार्यरत है, जिससे नागरिकों को जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है। 12 प्याउ में बोरिंग फेल हो जाने के कारण इन प्याउ में नया बोरिंग करायी जा रही है। 09 संकटग्रस्त स्थानों पर विशेष परिस्थिति में चापाकल अधिष्ठापित करायी जा रही है तथा 07 महादलित स्लम बस्तियों में 12 वैट, जिसमें 01 एच0पी0 का सब्मरसिबुल मोटर पम्प लगाकर नागरिकों को पेयजल उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे लगभग 500 परिवारों के लाभान्वित होने की संभावना है।

**<u>बोधगया नगर पंचायत</u>** :–

(i) कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बोधगया नगर पंचायत क्षेत्र में 02 टयूबवेल है, जिसमें से 01 चालू हैं एवं 01 बंद है। बुडको की जलापूर्ति परियोजना 31 जुलाई 2016 तक चालू होने की बात कही गयी है। बुडको परियोजना में कुल 1217 नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

(ii) बताया गया कि बोधगया में सफाई की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। निर्देश दिया गया कि बोधगया क्षेत्र में सफाई उत्कृष्ट कोटि का सुनिश्चित किया जाय। चूँकि यह शहर एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है एवं प्रतिदिन विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। सफाई कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही हो तो उसे दंडित करें।

**शेरघाटी नगर पंचायत** :–

(i) कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शेरघाटी में पी0एच0ई0डी0 का टयूबवेल एवं टंकी है, जिससे नगर पंचायत क्षेत्र में जलापूर्ति की जा रही है, परन्तु इसे नगर पंचायत को हैंडओवर नहीं किया गया

नगर आयुक्त, गया नगर निगम को निर्देश दिया गया कि आप जिला पदाधिकारी से संपर्क कर एवं पी0एच0ई0डी0 तथा नगर पंचायत से संयुक्त रूप से वार्ता कराकर निदान करायें। शेरघाटी नगर पंचायत में 02 टैंकर हैं। निर्देश दिया गया कि और टैंकर खरीदने की कार्रवाई की जाय।

(ii) अध्यक्ष द्वारा शेरघाटी नगर पंचायत क्षेत्र में चापाकल अधिष्ठापित कराने की मांग की गयी। निर्देश दिया गया कि जल संकट की विशेष परिस्थिति में कार्यपालक पदाधिकारी के प्रमाण पत्र दिये जाने पर 02 या 03 चापाकल अधिष्ठापित करा सकते है।

**टेकारी नगर पंचायत** :–

(i) कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि टिकारी नगर पंचायत क्षेत्र में 26 चापानल है, 01 पी0एच0ई0डी0 का टयूबवेल है, जो अबतक नगर निकाय को हैंडओवर नहीं हुआ है।

प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि इस संबंध में पी0एच0ई0डी0 के प्रभारी कार्यपालक अभियंता को लिखित रूप में दें। बी0आर0जे0पी0 के अभियंता को टिकारी एवं शेरघाटी का पूर्ण रूप से सर्वे कर, डी0पी0आर0 बनाने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, प्याउ के कार्य को अविलम्ब पूरा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) टेकारी नगर पंचायत की अध्यक्षा द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी पर मनमाने ढंग से कार्य करने एवं प्याउ का कार्य हो जाने के बाद भी भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में नगर आयुक्त, गया को प्रेक्षक नियुक्त करते हुए निर्देश दिया गया कि टेकारी नगर पंचायत की अध्यक्षा एवं कार्यपालक पदाधिकारी के बीच के विवाद के संबंध में टेकारी जाकर, समस्या को सुनकर, निराकरण करायें एवं एक प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करें।

प्रधान सचिव द्वारा नगर आयुक्त, गया नगर निगम को जिला पदाधिकारी से मिलकर, टिकारी एवं शेरघाटी नगर पंचायत तथा पी0एच0ई0डी0 के साथ बैठक कराने का निदेश दिया गया।

DK

**नवादा नगर परिषद** :–

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नवादा में पी0एच0ई0डी0 का 08 High Yield Tube Well हैं, जो सभी जर्जर है, जिससे आंशिक रूप से जलापूर्ति हो रही है। नवादा नगर परिषद क्षेत्र में बी0आर0जे0पी0 की योजना से 10 वार्ड कभर हो रहे हैं। नवादा नगर परिषद में 04 टैंकर है, 05 नये टैंकर क्रय करने की कार्रवाई की जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नवादा में पानी की कोई समस्या नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि बी0आर0जे0पी0 द्वारा जो पाईप लाईन का कार्य कराया जा रहा है, उसका लेबलिंग नहीं किया जा रहा है।

बैठक में उपस्थित बी0आर0जे0पी0 के अभियंता को लेबलिंग कराने का निर्देश दिया गया।

**वारसलिगंज नगर पंचायत** :–

वारसलिगंज के कार्यपालक पदाधिकारी बैठक में देर से उपस्थित हुए। इस संबंध में नाराजगी जाहिर की गयी। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वारसलिगंज में बी0आर0जे0पी0 द्वारा जो योजना कार्यान्वित की जा रही है, उससे पूरा क्षेत्र आच्छादित हो जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वारसलिगंज में पानी की कोई समस्या नहीं है।

**हिसुआ नगर पंचायत** :–

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य योजना से पेयजलापूर्ति हेतु 01 योजना ली गयी है, जिससे शहर के 02 वार्ड आच्छादित हो पाएंगे। शहर के 02 क्षेत्र "गोदाम एवं गांधी टोला" में पानी की समस्या बतायी गयी, वहाँ टैंकर से पानी सप्लाई करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पी0एच0ई0डी0 का जो जलमिनार है, उसे नगर निकाय को हैंडओवर नहीं किया गया है।

निर्देश दिया गया कि पी0एच0ई0डी0 से हैंड ओवर लेने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय एवं योजना से संबंधित कागजात एवं नक्शा प्राप्त करें। Existing तीन टयूबवेल एवं पानी टंकी को चेक कराकर हैंड ओवर प्राप्त करें।

7. बैठक में उपस्थित सभी मुख्य पार्षद, नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी मिलकर एवं समन्वय स्थापित कर कार्य करें ताकि विकास की गति अवरूद्ध न हो।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी। 24/6/2016

**(चैतन्य प्रसाद)**
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

Tour Gaya 10.6.16

DK

ज्ञापांक 3828 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 16/6/16

प्रतिलिपि :– मुख्य पार्षद/नगर आयुक्त, नगर निगम, गया/मुख्य पार्षद/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद एवं नवादा/मुख्य पार्षद एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया, शेरघाटी, टेकारी, मखदुमपुर, रफीगंज, नवीनगर, दाउदनगर, वारिसलीगंज एवं हिसुआ/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल एवं नवादा/कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद एवं नवादा/बुडको के ए०डी०बी० संपोषित गया जलापूर्ति योजना के क्षेत्रीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/6/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3828 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 16/6/16

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/उप निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/6/2016

प्रधान सचिव

DK